Regd. No. CHD/0093/2012-2014



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 23, 2013 (PHALGUNA 4, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd February, 2013

No. 3—HLA of 2013/6.—The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 3-HLA of 2013

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2013

A

Bill

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation Short utle. (Amendment) Act, 2013.

2. In the proviso of sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Amendment of Corporation Act, 1994, for the words "three years", the words "three years and three months" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted of 1994. with effect from the 10th October, 2008.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Local Bodies are required to be made self-reliant and strengthened in the democratic era, for which Government had constituted seven Municipal Corporations namely Panchkula, Ambala, Yamuna Nagar, Karnal, Panipat, Rohtak and Hisar vide its notification dated 17-3-2010. Elections to the newly constituted Municipal Corporations are required to be held within a period of three years, as per the provisions contained in sub section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 which was enforced w.e.f. 10-10-2008.

2. As per above said proviso, elections to the said newly constituted Municipal Corporations are required to be conducted by 16-3-2013 for which work of delimitation of wards has been completed by the Government. For conducting elections, final publication of electoral rolls has to be done by the State Election Commission, Haryana and further examinations of Matriculation and Senior Secondary Classes are to be held in the month of March and due to this it will not be possible to conduct elections before 16-3-2013.

Therefore, State Election Commission, Haryana requires three months more time for conducting the elections, for which an amendment is proposed in the sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. As per the proposed amendment, election to the newly constituted Municipal Corporations shall be held within a period of three years and three months instead of three years of time.

> BHUPINDER SINGH HOODA, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh : The 23rd February, 2013. SUMIT KUMAR, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 3-एच० एल० ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विघेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 की उप-धारा (4) के परन्तुक में, 1994 के "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष तथा तीन मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा हरियाणा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। धारा ४ का

अधिनियम 16 की संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

 लोकतांत्रिक युग में स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत सरकार द्वारा राज्य में सात नगर निगमों नामत: पंचकुला. अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक तथा हिसार का गठन अधिसूचना दिनांक 17-3-2010 द्वारा किया गया था। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की घारा 4 की उपधारा (4) में निहित व्यवस्था जोकि अधिसूचना दिनांक 10-10-2008 द्वारा लागू की गई थी, के अनुसार नवगठित नगर निगमों के चुनाव 3 वर्ष की अवधि के अन्दर करवाये जाने अनिवार्य हैं।

2. उपरोक्त नवगठित नगर निगमो का चुनाव उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत दिनाक 16-3-2013 तक किया जाना बनता है, जिसके लिए वार्डबन्दी का कार्य सरकार द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मतदाता सूचियो का अन्तिम प्रकाशन करवाया जाना है तथा मार्च माह में दसवीं तथा बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाएं होनी हैं जिसके कारण दिनांक 16-3-2013 से पूर्व चुनाव करवाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः राज्य चुनाव अयोग, हरियाणा को नवगठित नगर निगमों के चुनाव करवाने हेतु लगभग 3 माह के समय की और आवश्यकता होगी, जिसके लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम. 1994 की घारा 4 की उप-धारा (4) के परन्तुक में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन अनुसार नवगठित नगर निगमों का चुनाव 3 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष 3 माह की अवधि में करवाया जाना है।

> भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ . 23 फरवरी. 2013. सुमित कुमार, सचिव।

50837-H.V.S.-H.G.P., Chd.